प्रेस नोट 01/03/2024

अवैध तमंचा व कारतूस के साथ एक शातिर अभियुक्त गिरफ्तार-

दिनांक 29.02.2024 को थाना हलधरपुर पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सुचना पर विसनईपुर रतनपुरा के पास से डब्लू पुत्र हिरालाल निवासी सवंरा गोपालपुर थाना रसड़ा जनपद बलिया के कब्जे से एक अदद तमंचा तथा एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद कर गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में उक्त अभियुक्त के विरूद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 45/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के उपरांत एससीएसटी एक्ट में दोषसिद्ध 01 अभियुक्त 06 वर्ष के सश्रम कारावास व ₹1000 के अर्थदंड से हुये दंडित-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के उपरांत माननीय विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट जनपद मऊ द्वारा आज दिनांक 01-03-2024 को, मु0अ0सं0 467/2017 धारा 308,325,504,506 भादवि थाना मधुबन में दोषसिद्ध अभियुक्त लालबहादुर पुत्र रामसुरत निवासी महादेवा थाना भीमपुरा जनपद बलिया को कारित अपराध के लिए छः वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व ₹1000 जुर्माने के दण्ड से दंडित किया गया।

मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के उपरांत दोषसिद्ध 01 अभियुक्त 06 वर्ष 05 माह 25 दिन के साधारण कारावास की सजा व ₹2000 के अर्थदंड से हुये दंडित-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के उपरांत माननीय अपर सत्र न्यायालय एफटीसी कोर्ट जनपद मऊ द्वारा आज दिनांक 01-03-2024 को, मु0अ0सं0 160/17 धारा 341,392 भादवि थाना कोपागंज में दोषसिद्ध अभियुक्त कन्हैया राम पुत्र वीरन राम चरउवा थाना भीमपुरा जनपद बलिया को कारित अपराध के लिए 06 वर्ष 05 माह 25 दिन के साधारण कारावास की सजा व ₹2000 जुर्माने के दण्ड से दंडित किया गया।